

उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंटरल वक्फ़ बोर्ड

वक्फ़ अधिनियम- 1995 की धारा- 46 के अंतर्गत वक्फ़ के आय-व्यय का वार्षिक (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) लेखा-जोखा

जनपद का नाम: वक्फ़ संख्या: वित्तीय वर्ष: 20 -

वक्फ़ या वाक्फ़ का नाम:

मुतवल्ली/ सदर / सचिव का नाम :

आमदनी अंतर्गत वित्तीय वर्ष	रूप में	खर्च अंतर्गत वित्तीय वर्ष	रूप में
<ol style="list-style-type: none"> 1. काश्त से 2. बागात/जंगलात/तालाब से 3. मकानों,दुकानों,अराज़ी के किराये से 4. अन्य श्रोत से (विवरण सहित) 5. जो रुपये कर्ज़ से वसूल हुआ 6. एन्युटी से 7. उपहार व चंदा आदि से 		<ol style="list-style-type: none"> 1. सरकारी टैक्स, लगान , म्युनिसिपल टैक्स 2. मुतालबा वक्फ़ बोर्ड मय रसीद नं० व दिनांक 3. मरम्मत व तामीर जायदाद पर खर्च 4. मुकदमों पर खर्च 5. मस्जिद <ol style="list-style-type: none"> i. तनख्वाह इमाम ii. तनख्वाह मुअज़्ज़िन iii. बिजली व अन्य खर्चे 6. तनख्वाह मुलाज़िमीन 7. मदरसा 8. नज़रो नियाज़ व फातेहा 9. खैरात व इमदाद गरीब व मसाकीन 10. उर्स व मीलाद 11. दीगर उमूरे खैर मुताबिक वक्फ़नामा 12. तनख्वाह मुतवल्ली (अगर हो) 13. रक़म अदायगी गुज़ारा 14. विविध खर्चे 15. जो रुपये कर्ज़ दिए गये 16. अदायगी कर्ज़ 	
कुल आमदनी		कुल खर्च	
साल के प्रारम्भ में बचत		साल के अन्त में बचत	
कुल शेष		कुल शेष	

मैं प्रमाणित करते हुये घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उक्त विवरण मेरी निजी जानकारी व विश्वास में सही व सत्य है, मैंने इसमें कोई भी बात छुपाई नहीं है यदि उक्त फॉर्म में कोई भी तथ्य मिथ्या पाये जाते है तो मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा/होउंगी।

हस्ताक्षर

पूरा पता-

मोबाइल नं०-

ईमेल-

1. वक्त्र की सम्पत्तियों का विवरण :-

2. नई सम्मिलित की गयी अथवा नवनिर्मित की गयी वक्त्र सम्पत्तियों का विवरण :-

3. अन्य स्थिति

मैं प्रमाणित करते हुये घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उक्त विवरण मेरी निजी जानकारी व विश्वास में सही व सत्य है, मैंने इसमें कोई भी बात छुपाई नहीं है यदि उक्त फॉर्म में कोई भी तथ्य मिथ्या पाये जाते है तो मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा/होउंगी।

हस्ताक्षर

मुतवल्ली/सदर/सचिव का नाम-

पूरा पता-

मोबाइल नं०-

ईमेल-